न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-279/2020/भीलवाड़ा

श्री सोजी पिता पन्ना जाति गुर्जर, निवासी-रूपपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

--प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

--अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा मुकदमा नंम्बर 48/2018 दिनांक 04.11.2019

उपस्थित अभि0:-श्री भंवर लाल गुर्जर(वकील अपी0)
राजकीय अभि0:-श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः-28.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपपुरा आराजी संख्या 2366/58 रकबा 0.55 हेक्टेयर व आराजी संख्या 68 रकबा 0.55 हेक्टेयर कुलकिता 2 कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के तहत अतिक्रमण करने की वजह से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नोटिस जारी किये गए। दिनांक 04.01.2018 को अपीलांट को अनुपस्थित मानते हुए एकतरफा निर्णय एवं आदेश जारी किया गया। अपीलांट को तीन माह की सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जबकि अपीलांट को बिना तामील करवाये ही उसको पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी मानते हुए उक्त एकतरफा निर्णय एवं आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 48/2019 नम्बर से अपील दर्ज की जाकर दिनांक 04.11.2019 को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जारी निर्णय दिनांक 04.01.2018 को यथावत रखा। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 12.12.2019 को अधिवक्ता श्री बी0एल0गुर्जर के माध्यम से भू-प्रबंध अधिकारी न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की जो पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार न होने से अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल ही लौटा दी। उक्त अपील बाद में श्री एम0एल0 गुर्जर द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 20.01.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो का अवलोकन किया गया, अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार मे होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। अपीलांट द्वारा अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है-

1. अपीलांट को भूमिहीन होने से उक्त भूमि आवंटित की गई थी जो बाद में सैटलमेंट पुनः बिलानाम दर्ज कर दी गई है। उक्त भूमि पर उसका लगातार 25-30 वर्षो से कब्जा है।
2. अपीलांट को बिना सूचना तामील हुए तहसीलदार द्वारा निर्णय दिया गया जो कि गलत है।
3. विवादित आराजी के पुराने खसरा न0 4 थे जिसमें से 5 बीघा भूमि आवंटन कमीटी द्वारा अपीलांट को दिनांक 09.06.1987 को आवंटित की गई थी।
4. तहसीलदार ने बिना रिपोर्ट मंगवाये उक्त आदेश जारी किये है। अतः ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 04.11.2019 को अपास्त किया जाकर सिविल कारावास वार्तादण्ड किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन आदेश जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र के अनुसार साबी खसरा नम्बर 4 ग्राम रूपपुरा में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 09.06.1987 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार द्वारा बिना अवसर सुने अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुए उसे तीन महीने की सजा एवं अर्थदण्ड की सजा दी है जो अनुचित है। उक्त आदेश को ए0डी0एम न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया। यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.11.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

की पालना हो गई तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उक्त आदेश को स्थगित रखा जाये तथा प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम की समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई अथवा नहीं यह देखा जाना है। अपीलाधीन आदेश द्वारा ए0डी0एम भीलवाड़ा दिनांक 04.11.2019 है तथा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 20.01.2020 को प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलांट द्वारा तय सीमा के अंदर द्वितीय अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है।

बहस में वकील अपीलांट के अनुसार पूर्व में अपीलांट को 1987 में आवंटन किया गया था। जिसे रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। अपीलांट को पुनः आवंटन दिनांक 04.12.2010 को किया गया। नामांतरण संख्या 611 दिनांक 30.12.2011 से भूमि उसके नाम गैर खातेदारी में अंकित की गई। आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 2366/58 है। जिसका कुल रकबा 1.38 हे0 है इसमें से 0.25 हे0 भूमि अपीलांट को आवंटित हुई है। जिसके नये आराजी नम्बर 2401/58 है। तहसीलदार ने बिना जांच किये ही नोटिस दिया है। बहस के दौरान राजकीय अभि0 ने कहा कि निर्णय विधि के अनुसार किया गया है और पश्चातवृत्ति अतिक्रमण करने पर दिया गया है। अपीलांट चाहे तो उजरदारी अधीनस्थ न्यायालय में कर सकता था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 130/2017 में उक्त विवादित निर्णय दिया था।

निर्णय का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलांट द्वारा खसरा नं0 2366/58 तथा 68 में क्रमशः 0.55 हे0 भूमि पर उड़द काश्त करके अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को पंजिबद्ध किया जाकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी करके अतिक्रमी को नोटिस तामील करवाया गया। इसके बावजूद तामील के अतिक्रमी के उपस्थित ना होने पर अतिक्रमी अपीलांट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने अपने निर्णय में लिखा है कि ''अतिक्रमी उक्त भूमि के निम्न योग्य नहीं पाया जाता है। बार-बार अतिक्रमण करता है। आदतन अतिचारी है। जिसे निरूत्साहित किया जाना नितांत आवश्यक है तथा अतिक्रमी को खसरा न0 2366/58,66 रकबा 0.55 हे0 प्रत्येक का अतिचारी घोषित करते हुए तथा बार-बार अतिक्रमी होने की प्रवृत्ति को देखते हुए अपीलांट को तीन माह सिविल कारावास अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।''

ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 04.11.2019 का अवलोकन किया गया। इसके इस निर्णय में मुख्य रूप ए0डी0एम ने यह माना है कि अपीलांट को ग्राम रूपपुरा के आराजी नम्बर 2366/58 क्षैत्रफल 1.38 हे0 में से 0.25 हे0 भूमि आवंटित की गई है। जिसके नये नम्बर 2401/58 है जो गैर खातेदारी में दर्ज है। मगर इसके अलावा अपीलांट द्वारा ग्राम रूपपुरा में ही स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 2366/58 रकबा 0.55 हे0 एवं आराजी नम्बर 68 रकबा 0.55 हे0 पर संवत् 2074 खरीफ में अनाधिकृत रूप से उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है तथा अपीलांट के पक्ष में उक्त भूमि नियमन होने न होने से तहसीलदार द्वारा जो सिविल कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड की सजा को यथावत रखना उचित माना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकोर्ड को देखा गया। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। यह सही है कि अपीलांट को खसरा न0 2365/58 में 0.5 हे0 भूमि आवंटित हुई है। मगर अपीलांट द्वारा खसरा न0 2366/58 में 0.55 हे0 व खसरा न0 68 रकबा 0.55 हे0 में भी अतिक्रमण करते हुए, उड़द की फसल काश्त की गई है। इन खसरा न0 को अपीलांट को आवंटित नहीं किया गया है। ना ही अपीलांट नियमन का पात्र पाया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा सही रूप से उसे अतिक्रमी मानते हुए बार-बार अतिक्रमण करने से पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानते हुए सही रूप से निर्णय किया गया। पूर्व में अपीलांट को यदि कोई भूमि आवंटित हुई हो। ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ना ही प्रथम अपील के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा के निर्णय मुकदमा नम्बर 48/18 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को सुनने के पश्चात ही ए0डी0एम न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है। तहसीलदार न्यायालय के निर्णय बाबत् पत्रावली इस समय न्यायालय हाजा के सम्मुख नही है। क्योकि प्रार्थी द्वारा धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested

75 में अपील प्रस्तुत करने से उक्त अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा का ही रिकोर्ड मंगवाया गया है।

पत्रावली के अवलोकन बहस बिन्दुओं पर मनन एवं उपरोक्तानुसार विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट एक अतिक्रमी की हैसियत से आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य खसरा न0 भूमियों पर उसके द्वारा अतिचार किया जाकर धारा 91,91(3) को Attract किया है तथा न्यायालय तहसीलदार एवं ए0डी0एम द्वारा सही रूप से निर्णय किया है। चूंकि अतिक्रमी द्वारा पूर्व में उसी खसरा नम्बर में सन् 1987 में भूमि आवंटन बाबत् कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है तथा अपीलांट को नियमन योग्य भी नहीं माना गया है। अतएव अपीलांट न्यायालय हाजा से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

अपील द्वारा अपीलांट विरूद्ध आदेश **(ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 48/2018 दिनांक 04.11.2019)** ग्राम रूपपुरा, तहसील शाहपुरा को सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 04.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

आज दिनांक 28.02.2022 को उक्त आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:54 IST
Reason: SelfAttested